कार्यालय,
निदेशक आयुर्वेदिक सेवाये,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

संख्या– 3780 /शिक्षा–2318/2018 दिनांक– 21-11-18

विज्ञप्ति

मा0 उच्च न्यायालय में योजित **रिट याचिका संख्या–18464 एम0एस0/2018 श्री प्रदीप कुमार चौधरी, व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक–15.11.2018 के अनुपालन में शासनादेश संख्या–5138/96–आयुष–1–2018–345/2016 टी0सी0 आयुष अनुभाग–1 दिनांक–19.11.2018 में निहित प्राविधानो के अन्तर्गत भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद नई दिल्ली एंव केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद नई दिल्ली (सी0सी0एच0) द्वारा पाठयकम में प्रवेश हेतु निर्धारित न्यूनतम मानक "आयुर्वेद की स्नातकीय शिक्षा में प्रवेश योग्यता/अर्हता, विज्ञान विषय के साथ कक्षा–12 या संबन्धित राज्य सरकारो तथा शिक्षा बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त कोई अन्य समकक्ष परीक्षा बशर्ते की अभ्यर्थी ने भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र और जीव विज्ञान विषयो में कम से कम 50 प्रतिशत समुच्चय अंको के साथ तथा अंग्रेजी विषय की परीक्षा उत्तीर्ण की हो तथा आरक्षित श्रेणी या विशेष श्रेणी जैसा कि शारीरिक विकलांग छात्रो के लिये 10+2 में बैचलर आफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एण्ड सर्जरी में प्रवेश हेतु तत्काल लागू नियमानुसार अंको मे छूट दी जायेगी "साथ ही यूनानी पाठयकम में प्रवेश हेतु भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान एंव जीव विज्ञान विषयो के साथ कक्षा–10 के समकक्ष उर्दू विषय की परीक्षा में भी उत्तीर्ण होना आवश्यक होगा" के अन्तर्गत प्रदेश के निजी क्षेत्र के मान्यता प्राप्त आयुष महाविद्यालयो (आयुर्वेद, यूनानी एंव होम्योपैथ) में शैक्षणिक सत्र 2018–19 हेतु बी0ए0एम0एस0/बी0यू0एम0एस0/बी0एच0एम0एस0 पाठयकम में प्रवेश हेतु ऐसे सभी आवेदक जो आयुष पाठयकम मे प्रवेश लेना चाहते है, की प्रवेश परीक्षा हेतु आवेदन पत्र दिनांक–26.11.2018 से दिनांक–30.11.2018 (05 दिवस) तक वेबसाइट www.dirayushupneet.com के माध्यम से आमन्त्रित किये जाते है। उल्लिखित प्रवेश परीक्षा रिक्त सीटो के सापेक्ष प्राप्त आवेदन पत्रो की संख्या पर निर्भर करेगी।**

विस्तृत निर्देश वेबसाइट www.dirayushupneet.com पर उपलब्ध होंगें।

(प्रो0 एस0एन0 सिह)
निदेशक।